

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड, रांची

कार्यालय आदेश सं०-19M (15)/2001- 138

दिनांक.....22/07/2016

प्रशासनिक दृष्टिकोण एवं लोक सेवा हित में विभागीय अधिसूचना संख्या-1023 दिनांक-06.03.2002 द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं श्री अखिलेश कुमार, वन क्षेत्र पदाधिकारी, कोडरमा वनरोपण प्रक्षेत्र के अभ्यावेदन के आलोक में श्री कुमार के शारीरिक अस्वस्थता एवं निकट सेवानिवृत्ति को देखते हुए पूर्व में निर्गत इस कार्यालय के आदेश सं० 11 दिनांक 19.01.16 के क्रम संख्या 4 को निरस्त करते हुए अगले आदेश तक श्री शंकर महतो, वन क्षेत्र पदाधिकारी, कार्य नियोजना अंचल, हजारीबाग को अपने कार्य के अतिरिक्त गझण्डी वन प्रक्षेत्र, कोडरमा वन प्रमण्डल के द्वैत प्रभार में रहने का आदेश दिया जाता है।

उक्त वन प्रक्षेत्र में सरकार के स्तर से किसी अन्य वन क्षेत्र पदाधिकारी का पदस्थापन होने पर उक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जाएगी। साथ ही साथ आवश्यक समझो जाने पर उक्त व्यवस्था कभी भी सरकार/ अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवक्रमित की जा सकेगी।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची

ज्ञापांक-19M (15)/2001-

दिनांक...../07/2016

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड सरकार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची

ज्ञापांक-19M (15)/2001- 2728

दिनांक.....22/07/2016

प्रतिलिपि- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य नियोजना, झारखंड, रांची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग रीजन, हजारीबाग/ वन संरक्षक, कार्य नियोजना अंचल, हजारीबाग/ मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/ श्री शंकर महतो, वन क्षेत्र पदाधिकारी/ श्री अखिलेश कुमार, वन क्षेत्र पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची

ज्ञापांक-19M (15)/2001- 2728

दिनांक.....22/07/2016

प्रतिलिपि- Envis Centre, Ranchi को विभागीय वेबसाईट पर PCCF Instruction Tab में अपलोड करने हेतु प्रेषित।


प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखंड, रांची